<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>





एस.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229053 SG-DL-E-16082021-229053

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 133 No. 233] DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SHRAVANA 25, 1943 [N. C. T. D. No. 133

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग (स्थानीय निकाय निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

सं. फा. 13(307)/यूडी/एमबी/2019/पार्ट फाइल-1/सीडी नं. 021549589/784.—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 जिसे आज की तारीख तक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, उपधारा 2(i) और पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 4 के उपनियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा यथासंशोधित किया गया है, के नियम 6(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए निम्नलिखित उप-नियम को एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों और हितधारकों की जानकारी के लिये सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसार दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, कि दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित उक्त उप—िनयमों की प्रतियां जनता को जिस तिथि से उपलब्ध कराई जाती है, उस तिथि से तीस दिन की अवधि बीतने के पश्चात् उक्त प्रारूप पर, निर्धारित अवधि के भीतर इस संबंध में प्राप्त होने वाली किन्हीं आपितयां / सुझावों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपित्तयां / सुझाव सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नौवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–02 को संबोधित किए जाने चाहिए।

4592 DG/2021 (1)

उप-नियम का प्रारूप

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद/दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) उप–नियम, 2018 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 27–3–2018 की अधिसूचना द्वारा संशोधित)

अध्याय-I

सामान्य

- 1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**—(क) इन उप-नियमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2021 कहा जाएगा।
 - (ख) ये उप-नियम दिल्ली के राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।
- 2. लागू होना : यह उप—िनयम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम/ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद/दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लागू होगी, जिसे इसके पश्चात् दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद/दिल्ली छावनी बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप—विधि, 2021 कहा जाएगा।
- 3. अधिनियमः अधिनियम से अभिप्राय है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (यथासंशोधित)।
- 4. परिभाषाएं: (i) इन उप-विधियों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
- (क) "ब्रांड मालिक" से अभिप्राय किसी व्यक्ति अथवा कंपनी से है, जो एक पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत किसी वस्तु की बिक्री करता है;
- (कख) "वैकल्पिक उपयोग" से अभिप्राय किसी सामग्री के ऐसे अन्यथा उपयोग से है, जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया हो, जो लाभकारी हो क्योंकि इससे संसाधनों की दक्षता को बढावा मिलता है;
- (कग) "भारी मात्रा का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता" से अभिप्राय दुकानदारों, संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, रेस्तराओं, बैंक्वेट हॉलों, मैरिज हॉलों, समुदाय भवनों, मॉल एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्स, फार्म हाउसों (सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले), स्कुलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि से है;
- (ख) "कैरी बैग" से अभिप्राय प्लास्टिक सामग्री अथवा कम्पोस्ट की जा सकने वाली प्लास्टिक सामग्री से बने बैगों से है, जिनका उपयोग सामान ले जाने अथवा वितरण किए जाने के लिए किया जाता है, जिनमें सामग्री के स्व–वहन की विशेषता होती है किंतु उनमें वे बैग शामिल नहीं होते, जो पैकिंग के लिए बनाए जाते हैं अथवा उनका आंतरिक हिस्सा होते हैं जिनमें उपयोग से पहले सामान को सीलबंद किया जाता है;
- (ग) ''वस्तु" से अभिप्राय उस मूर्त मद से है, जो खरीदी अथवा बेची जा सकती है और इसमें समस्त विपणन योग्य सामान अथवा उत्पाद शामिल हो सकते हैं:
- (घ) "कम्पोस्ट किए जा सकने वाले प्लास्टिक" से अभिप्राय उस प्लास्टिक से है, जो खाद बनाने के लिए उपयोगी अन्य सामग्री की एक निरंतर दर पर खाद बनाने के दौरान जैविक प्रक्रियाओं के डीग्रेडेशन से ऑक्सीजन, जल, अजैविक अवयव और बायोमास उत्पन्न करते हैं, इनमें पारंपरिक पेट्रो—बेस्ड प्लास्टिक शामिल नहीं होता और ये स्पष्ट, देखे जा सकने वाले अथवा दिषत अपशिष्ट नहीं छोडते;
- (ङ) "सहमति" से अभिप्राय जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6), और वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के तहत प्रदत्त संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति की सहमति से स्थापित और संचालित होने से है:
- (च) "पृथक्करण" से अभिप्राय किसी सामग्री के भौतिक रूप को बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ देने से है;
- (छ) "निर्माता की बढ़ी हुई जिम्मेदारी" से अभिप्राय किसी उत्पाद की कार्यावधि तक पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए किसी निर्माता की जिम्मेदारी से है;
- (छक) 'एनर्जी रिकवरी' से अभिप्राय अपशिष्ट से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है, जिसमें अपशिष्ट सामग्री को विभिन्न प्रक्रियाओं, जिसमें दहन, गैसिफिकेशन, पाइरोलिसिस, एनारॉबिक डाइजेशन और लैंड फिल गैस रिकवरी से ऊर्जा को उपयोग योग्य ऊष्मा, बिजली अथवा ईंधन में परिवर्तित किया जाता है;
- (ज) "फूड–स्टफ" से अभिप्राय खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट–फूड, लिक्विड, पाउडर, सॉलिड अथवा सेमी–सॉलिड, प्लास्टिक अथवा सेमी–प्लास्टिक रूप में प्रोसेस्ड अथवा पके हुए भोजन से है;
- (झ) "सुविधा" से अभिप्राय संग्रहण, भंडारण, रीसाइकलिंग, प्रसंस्करण और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयोग होने वाले परिसरों से है;
- (ञ) "आयातक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो आयात करता है अथवा आयात करने का प्रयास करता है और जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो, आयातक—निर्यातक का एक कोड नंबर रखता है;

- (ट) "संस्थागत अपशिष्ट उत्पादक" से अभिप्राय इसमें शामिल संस्थागत भवनों पर आधिपत्य रखने वालों से है, जिनमें केंद्र सरकारी विभागों, राज्य सरकारी विभागों, सार्वजिनक और निजी क्षेत्र की कंपनियों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा के अन्य स्थलों, संगठनों, अकादिमयों, होटलों, रेस्तराओं, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स आदि के आधिपत्य वाले भवन आते हैं:
- (ठ) "इंटीग्रल पैकेजिंग" से अभिप्राय प्लास्टिक फिल्म से है, जो दो लेयर्स के बीच सैंडविच के रूप में होती है तथा उपयोग से पूर्व इसे सीलबंद किया जाता है;
- (ड) "स्थानीय निकाय" से अभिप्राय शहरी स्थानीय निकाय से है, जिनकी नामावली भिन्न हो सकती है, जैसे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली कैण्टोनमेंट बोर्ड (DCB) (जिन्हें यहां से आगे 'दिल्ली के स्थानीय निकाय' कहा जाएगा);
- (ढ) "विनिर्माता" से अभिप्राय इसमें उस व्यक्ति अथवा इकाई अथवा एजेंसी शामिल होने से है, जो कच्ची प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन करती है, जिसका उपयोग निर्माता के द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है;
- (ण) "सामग्री रिकवरी की सुविधा (MRF)" से अभिप्राय एक सुविधा से है, जहां खाद न बनाई जा सकने वाले ठोस अपिशष्ट को अस्थायी तौर पर रखा जा सकता है अथवा उसे प्रोसेस अथवा डिस्पोज किए जाने से पूर्व उनके द्वारा स्थानीय निकायों या किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी को उसे अन्य प्लास्टिक अपिशष्ट से पृथक करने, छंटाई करने और रियाकिल की जा सकने वाली सामग्री को निकाले जाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;
- (त) "मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग" से अभिप्राय पैकेजिंग के लिए उपयोग की गई अथवा उपयोग की जाने वाली किसी सामग्री से है, जिसकी कम से कम प्लास्टिक की एक परत संयोजन के मुख्य अवयव के रूप में हो, जिसकी किसी सामग्री के साथ, जैसे—कागज, कागज के बोर्ड, पॉलिमेरिक सामग्री, धातु की परत अथवा एल्यूमिनियम फॉयल की या तो एक लेमिनेट अथवा कॉ—एक्सटूटेड स्ट्रक्चर के रूप में एक अथवा अधिक परतें हों;
- (थ) "प्लास्टिक" से अभिप्राय उस सामग्री से है, जिसमें एक हाई पॉलिमर वाला एक अनिवार्य अवयव हो, जैसे—पॉलिथिन टेरिपेथलेट, उच्च घनत्व वाला पॉलिथिन, विनायल, कम घनत्व वाला पॉलिथिन, पॉलिफेरेलिन, पॉलिस्टिरिन रेसिन, मल्टी—मैटेरियल जैसे एक्रिलॉनिट्रिल बिटाडिन स्ट्रिन, पॉलिफेरेलिन ऑक्साइड, पॉलिकार्बोनेट, पॉलिबुटिलिन टेरिपेथेलेट शामिल है;
- (द) "प्लास्टिक शीट" से अभिप्राय उस प्लास्टिक शीट से है जो प्लास्टिक की बनी शीटधिफल्म से बनती है;
- (ध) "प्लास्टिक अपशिष्ट" से अभिप्राय उस प्लास्टिक से है जिसे उपयोगकरने के पश्चात् अथवा इच्छित उपयोग के पूर्ण होने के उपरान्त फेंक दिया जाता है:
- (न). "निर्धारित प्राधिकारी" से अभिप्राय उन प्राधिकारियों से है, जैसा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 12 यथासंशोधित. 2018 में निर्दिष्ट है:
- (प). "निर्माता" से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है, जो कैरी—बैग के निर्माण अथवा आयात अथवा मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग अथवा प्लास्टिक शीट / फिल्म के आयात में लगे हों और इनमें वे उद्योग अथवा व्यक्ति भी शामिल हैं, जो प्लास्टिक शीट / फिल्म अथवा प्लास्टिक शीट / फिल्म से बने कवर्स का उपयोग करते हों अथवा पैकिंग के लिए मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग अथवा वस्तुओं को पैक करने के लिए इनका उपयोग करते हों;
- (फ). "रिसायकलिंग" से अभिप्राय प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग–अलग करके एक नए उत्पाद को नया रूप देने की प्रक्रिया अथवा नए उत्पादों के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया से है;
- (ब). "पंजीकरण" से अभिप्राय दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के साथ पंजीकरण से है;
- (एक्स). "नियमों" से अभिप्राय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अद्यतन यथासंशोधित से है;
- (भ). "फेरीवाला" का वही अर्थ होगा जैसा फेरीवाला (फेरीवालों के जीवन—यापन के संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) धारा 2 की उप—धारा (1) के खंड (1) में निर्धारित किया गया है;
- (म). "वर्जिन प्लास्टिक" से अभिप्राय उस प्लास्टिक सामग्री से है, जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया हो और उसे स्क्रैप अथवा अपशिष्ट के साथ भी नहीं मिलाया गया हो;
- (मक). "अपशिष्ट उत्पादक" से अभिप्राय तथा इसमें वे प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा संस्थानों, आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों के समूह सहित रेलवे, हवाई अड्डे, पोर्ट एवं हार्बर तथा रक्षा संस्थान शामिल हैं, जो प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं:
- (मख). "अपशिष्ट प्रबंधन" से अभिप्राय संग्रहण, भंडारण, परिवहन की कटौती, पुनःउपयोग, रिकवरी, रियाकलिंग, कम्पोस्टिंग अथवा पर्यावरणीय सुरक्षित तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान करने से है;

- (मग). "कूड़ा बीनने वाले" से अभिप्राय व्यक्तिगत रूप से अथवा एजेंसियों, स्वेच्छा से अथवा रियाकिल किए जाने योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट को उठाने के लिए लगे अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों के समूहों से हैं;
- (मघ) जिन शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है किंतु जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का अभिप्राय उसी समान होगा, जैसा क्रमशः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 यथासंशोधित, 2018 में निर्धारित किया गया है।

अध्याय-II

प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण और उसका प्राथमिक मंडारण

5. स्रोत स्थल पर प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण:-

- (i) समस्त अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने यहां से निकलने वाले प्लास्टिक को नियमित रूप से अपशिष्ट को पृथक करें और ढक्कन वाले कूड़ादानों में रखें तथा पृथक किए गए अपशिष्ट को समय—समय पर संबंधित स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपे।
- (ii) भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को अपने यहां से निकलने वाले प्लास्टिक को अपशिष्ट को पृथक करके उपयुक्त कूड़ादानों में रखें और पृथक किए गए अपशिष्ट को अधिकृत अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी के माध्यम से अधिकृत प्रसंस्करण करने वालों अथवा निपटान सुविधा वाले अथवा डिपोजिशन केंद्रों को सौंपे, जिसके लिए उन्हें समय—समय पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रभार अदा करने होंगे।
- (iii) प्लास्टिक अपशिष्ट से पृथक किए गए अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ादानों का रंग 'नीला' होगा।
- (iv) कोई व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस वाले स्थल पर संबंधित स्थानीय निकाय (LBs) को ऑनलाइन सूचित किए बिना कम से कम तीन दिन के कार्यदिवस से पहले अनुसूची में निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का अग्रिम भुगतान किए बिना ऐसा कोई कार्यक्रम अथवा सभा आयोजित नहीं करेगा, जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति एकत्र होते हों और उक्त व्यक्ति अथवा उक्त कार्यक्रम का आयोजिक स्रोत स्थल पर ही प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करेगा तथा पृथक किए गए अपशिष्ट को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यथानिर्धारित अपशिष्ट एकत्र करने वाले व्यक्ति अथवा एजेंसी को सौंपेगा।
- (v) प्रत्येक फेरीवाला / विक्रेता पृथक किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट जैसे—खाद्य अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेटों, कपों, केन, रैपर, नारियल के खोल, बचे हुए भोजन, सब्जियों, फलों आदि को उपयुक्त कूड़ादानों में रखेगा और उक्त अपशिष्ट को संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो, कंटेनर अथवा वाहन में डालेगा।

अध्याय-III

प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण

6. प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण:-

- (i) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 जिन्हें 2018 में किए गए संशोधन तथा जिसे आज की तारीख तक अद्यतन किया गया है, के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण और प्राथमिक भंडारण किया जाए।
- (ii) कंटेनरों में अपशिष्ट की मैनुअल रूप से प्रबंधन को निषिद्ध किया जाएगा। यदि व्यस्तता के कारण अपरिहार्य हो, तो कामगारों की सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतते हुए मैनुअल रूप से प्रबंधन किया जाएगा।
- (iii) अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले अपने पृथक किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट (निगम के ठोस अपशिष्ट के साथ को निर्दिष्ट लैंडिफिल साइटों पर नहीं भेजा जाना चाहिए) को सौंपे जाने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसे संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा तय अनुसार अथवा ऑटो—टिपर्स / रिक्शा इत्यादि में अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता के द्वारा भिजवाया जाना चाहिए तािक उचित उद्देश्य हेतु उसका निपटान अथवा उसकी रिसायकलिंग की जा सके, बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंट्स, आवासीय परिसरों से पृथक किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रवेश द्वारों अथवा किन्हीं अन्य निर्दिष्ट स्थलों से एकत्र किया जा सके.

अध्याय-IV

प्लास्टिक अपशिष्ट का गौण रूप से भंडारण

7. गौण मंडारण स्थलों पर प्लास्टिक अपशिष्ट का मंडारण:-

- (i) किसी स्रोत स्थल से एकत्र किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ), सामुदायिक कूड़ादानों में अथवा अपशिष्ट के गौण रूप से भंडारण के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यथानिर्धारित चल अथवा अचल यातायात माध्यम से ले जाया जाएगा।
- (ii) ऐसे मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी अथवा गौण भंडारण स्थलों पर ढक्कनदार कूड़ादान (निर्धारित रंग वाले) होने चाहिए ताकि प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग–अलग रखा जा सके।
- (iii) पृथक किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट को रखने के लिए संबंधित स्थानीय निकायों (LBs) द्वारा चिह्नित क्षेत्रों में विभिन्न कंटेनरों का उपयोग किया जाएगा. संबंधित स्थानीय निकाय समय—समय पर, अनिवार्य रंगों की कोडिंग के बारे में तथा भंडारण

- के बारे में निर्धारित अन्य विशिष्टियों तथा विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट क भंडारण और सुपुर्दगी के बारे में अलग से अधिसूचना जारी करेंगे ताकि अपशिष्ट को मिश्रित किए बिना अथवा गिराए बिना सुरक्षित और आसान एकत्रण किया जा सके, जिनका विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को कड़ा अनुपालन करना होगा।
- (iv) संबंधित स्थानीय निकाय स्वयं अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए भंडारण की इस प्रकार व्यवस्था करेंगे कि इसके आसपास स्वास्थ्य के लिए खतरा अथवा गंदगी उत्पन्न न हो।
- (v) संबंधित स्थानीय निकायों अथवा किन्हीं नामित एजेंसियों द्वारा गौण भंडारण डिपो में विभिन्न आकार के कंटेनर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (vi) किसी क्षेत्र विशेष में तथा जनसंख्या के घनत्व के अनुसार अपशिष्ट के उत्पन्न होने की मात्रा के आधार पर भंडारण सुविधाएं तैयार और स्थापित की जाएंगी।
- (vii) भंडारण सुविधाएं उपयोगकर्ता अनुकूल होंगी और इस प्रकार निर्धारित की जाएंगी कि इनसे अपशिष्ट सही तरीके से रखा जाना सुनिश्चित होता हो और रखे गए अपशिष्ट से बाहरी वातावरण प्रभावित न होता हो।
- (viii) संबंधित स्थानीय निकाय अथवा इसकी निर्दिष्ट एजेंसी साप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ादानों को धोने तथा संक्रमणमुक्त बनाने का कार्य करेंगी।

अध्याय $-\mathbf{V}$

प्लास्टिक अपशिष्ट का परिवहन

प्लास्टिक अपशिष्ट का परिवहन:-

- (i) प्लास्टिक अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वालों को इस तरीके से ढका जाएगा कि एकत्र किया गया अपशिष्ट वातावरण में खुला न रहने पाए। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के आधार पर इन वाहनों में कॉम्पेक्टर्स, ट्रक और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशनों को भी शामिल किया जा सकता है।
- (ii) संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित भंडारण सुविधा वाले स्थानों पर नियमित रूप से अपशिष्ट की सफाई की जाएगी। जिन क्षेत्रों में कूड़ादान और कंटेनर आदि रखे जाएंगे, वहां भी सफाई की व्यवस्था की जाएगी।
- (iii) अपशिष्ट के परिवहन के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट को आपस में नहीं मिलाया जाएगा।

अध्याय-VI

प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण / निपटान

9. प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण / निपटान:--

- (i) निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों, जिन्होंने मार्किट में उत्पादों की शुरुआत की हो, द्वारा पैकिंग के लिए उपयोग किए गए मल्टी—लेयर प्लास्टिक सैशे अथवा पाउच का संग्रह करना प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। उन्हें अपने उत्पादों से निकलने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः संग्रह करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी होगी। संग्रह के लिए इस योजना को स्थापित या संचालित अथवा नवीनीकरण की सहमति के लिए डीपीसीसी को प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) संबंधित स्थानीय निकाय मेंटरियल रिकवरी फिसिलिटी (एमआरएफ), प्लास्टिक अपिशष्ट प्रसंस्करण एवं इससे संबंधित अवसरंचना के लिए स्वयं अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे तािक प्लास्टिक अपिशष्ट के विभिन्न अवयवों के लिए इष्टतम उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के साथ ही इस संबंध में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (एमएचयूए) द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा सके:—
 - (क) परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना;
 - (ख) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण और रिसायकलिंग सुविधाओं के माध्यम से;
- (ग) अपशिष्ट को टुकड़ों में करने के लिए रीफ्यूज ईंधन का उपयोग करके अपशिष्ट से ऊर्जा अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों के लिए उसकी फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति के माध्यम से और; अथवा
- (iii) संबंधित स्थानीय निकाय रीफ्यूज ड्राइव फ्यूल (RDF) की खपत के लिए एक बाजार तैयार करने का प्रयास करेंगे;
- (iv) अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्र में नियंत्रित इनसाइनरेशन से, पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और यह संबद्ध संविदाओं की निबंधन एवं शर्तों का हिस्सा होगा:
- (v) स्थानीय निकाय इस प्रकार के प्लास्टिक की रिसायकेबल को सुनिश्चित करेंगे।

अध्याय-VII

उपयोगकर्ता शुल्क और स्थान पर ही जुर्माना / दंड लगाना

- 10. प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण / निपटान हेतु उपयोगकर्ता शुल्कः— प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसारः
- (i) संबंधित स्थानीय निकाय ऑनलाइन भुगतान सहित उपयोगकर्ता शूल्क के संग्रहण के लिए विभिन्न तरीके अपनाएंगे।
- (ii) उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण के लिए महीने में कुछ विशेष दिन, प्राथमिक तौर पर प्रत्येक माह का पहला सप्ताह निर्धारित किया जाएगा।

अध्याय-VIII

11. विविध

- क) यदि इन उप–विधियों की व्याख्या अथवा क्रियान्वयन में कोई संदेह अथवा कठिनाई होती है, तो ऐसे मामलों को आयुक्त, संबंधित स्थानीय निकायों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय इन मामलों में अंतिम होगा।
- ख) सरकारी निकायों के साथ समन्वय : संबंधित स्थानीय निकाय अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय बनाए रखेंगे, तािक उनके कार्यक्षेत्र में अथवा ऐसे निकायों के नियंत्रणाधीन इन उप—विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। किसी कठिनाई की स्थिति में मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- ग) सक्षम प्राधिकारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 यथासंशोधित, 2018 इन उप–विधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए समय–समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश जारी कर सकता है।
- घ) एकल—उपयोग वाला प्लास्टिक, जिसे अक्सर डिस्पोजेबल प्लास्टिक (उपयोग करें और फेंके) भी कहा जाता है, का सामान्यतया पैकिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है तथा इसमें शामिल मदों को एक बार ही उपयोग में लाया जाता है, उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता है अथवा रिसायकल किया जाता है। अन्य मदों के साथ, इनमें थैलियां, खाद्य पदार्थों की पैकिंग, बोतलें, स्ट्रा, कप और कटलरी जैसी मदें होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में, महासागरों और समुद्रों में जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा बढ़ी है। समुद्री तटों पर प्लास्टिक का कूड़ा समुद्री पर्यावरण, जैविकवैविध्य और काफी हद तक मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक नीतिगत दृष्टिकोण के साथ इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चिंता प्रकट करने की आवश्यकता है।एकल उपयोग होने वाली प्लास्टिक की मदें काफी मात्रा में समुद्री तटों के कूड़े में पाई जाती हैं। अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016यथासंशोधित, 2018 के तहत 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियां (वर्जिन अथवा रिसायकल की हुई) और प्लास्टिक शीट अथवा इसी प्रकार की सामग्री, जो मल्टी—लेयर्ड पैकिंग का हिस्सा नहीं होती तथा जिनके ढक्कन ऐसी प्लास्टिक शीट से बने होते हैं, जो 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली होती हैं, जिनका उपयोग सामान की पैकिंग तथा उसे लपेटने के लिए किया जाता है. उन पर प्रतिबंध है।
- ङ) संबंधित स्थानीय निकाय अथवा उनके द्वारा अधिकृत एजेंसियां रेलवे स्टेशनों, बस स्टापों, धार्मिक स्थलों, वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास बडी–बडी सडकों पर पर्याप्त संख्या में कड़ादान लगाएंगी तथा उनका रखरखाव करेंगी।

12. संबंधित स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व

- (i) संबंधित स्थानीय निकाय अपने—अपने कार्य क्षेत्र में, यह सुनिष्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि मानव संसाधन और मशीनों के माध्यम से सभी सामान्य गलियों / सड़कों, सार्वजिनक स्थलों, अस्थायी बस्तियों, स्लम क्षेत्रों, बाजारों, अपने पार्कों, उद्यानों, नालों आदि की नियमित साफ—सफाई की जाती हो तथा वे निर्धारित भंडारण कंटेनरों से प्लास्टिक एकत्र करने के लिए भी बाध्य होंगे और प्रतिदिन उसे बंद वाहनों में डिस्पोजल स्थलों पर ले जाएंगे, जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा संविदात्मक अथवा पिक्लिक प्राइवेट भागीदारी कार्यतंत्र के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम सौंप सकते हैं. इसके अतिरिक्त, संबंधित स्थानीय निकाय उन सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेंगे, जहां दिन में दो बार सफाई करने की आवश्यकता हो।
- (ii) संबंधित स्थानीय निकाय अथवा इनके द्वारा निर्धारित अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक सड़कों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टापों, धार्मिक स्थलों, वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास बड़े आकार के कूड़ादानों की व्यवस्था करेंगी तथा उनका रखरखाव करेंगी;
- (iii) संबंधित स्थानीय निकाय विकेन्द्रीकृत और नियमित तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड अधिकारी नामित करेंगे, जो कंटेनर रखे जाने वाले स्थलों, सार्वजनिक शौचालयों अथवा पेशाबघरों, सार्वजनिक प्लास्टिक के लिए ट्रांसफर स्टेशनों, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि का निरीक्षण करेंगे;
- (iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों, जो अपर उपायुक्त अथवा उससे कम रैंक के नहीं होंगे, को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो प्लास्टिक के पृथक्करणस, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे;

- (v) प्रत्येक वार्ड को निर्धारित पैमाने के अनुसार सफाई बीटों में बांटा जाएगा और तदनुसार कर्मचारियों की वहां तैनाती की जाएगी अथवा वहां विद्यमान तैनाती को युक्तिसंगत किया जाएगा तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ किए जाने वाले उनके कार्य पर नजर रखी जाएगी। जहां कहीं अपने स्टाफ द्वारा सफाई कार्य कराना संभव न हो, वहां संविदा के माध्यम से कार्य आउटसोर्स किया जा सकेगा। प्रत्येक बीट का निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर निरीक्षण किया जाएगा:
- (vi) संबंधित स्थानीय निकाय सड़कों / गलियों की सफाई के लिए नवीनतम सफाई मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरों अथवा अन्य उपकरणों की तैनाती करेंगे, जिससे सफाई और नालों की साफ—सफाई की कार्यदक्षता में सुधार होगा;
- (vii) संबंधित स्थानीय निकाय जानकारी, शिक्षा और संपर्क (IEC) अभियानों के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता का प्रसार करेंगे तथा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले और अन्य भागीदरों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के विभिन्न प्रावधानों तथा इन उप—नियमों के साथउपयोगकर्ता शुल्क और जुर्माने/दंड की विशेष जानकारी के महत्व पर बल देते हुए उसके बारे में शिक्षित करेंगे;
- (viii) संबंधित स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के सरलीकरण तथा उन्हें औपचारिक रूप देने का प्रयास करेंगे तथा अपशिष्ट प्रबंधन (कूड़ा बीनने वाले) में लगे औपचारिक क्षेत्र के कामगारों को प्राथमिकता देने एवं उन्हें अपनी कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की औपचारिक कार्यप्रणाली में उनकी गिनती हो तथा उन्हें शामिल करने का प्रयास करेंगे:
- (ix) संबंधित स्थानीय निकाय सुनिश्चित करेंगे कि किसी कार्य का संचालन करने वाले प्लास्टिक प्रबंधन करने वाले सभी व्यक्तियों को वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण, जैसे वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त जूते और मास्क इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हों और सभी कामगारों द्वारा उनका उपयोग किया जाता हो;
- (x) संबंधित स्थानीय निकाय सुनिश्चित करेंगे कि उनके तथा आउटसोर्स एजेंसी के उन समस्त स्टाफ को व्यावसायिक संरक्षा प्रदान की जाती हो, जो अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रबंधन में लगे हो, जिसके लिए उन्हें समुचित और पर्याप्त वैयक्तिक संरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए;
- (xi) किसी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निवारक अथवा निपटान सुविधा स्थल पर अथवा किसी लैंडिफल पर किसी दुर्घटना की स्थिति में उस स्थल के प्रभारी—अधिकारी तत्काल उसकी सूचना संबंधित स्थानीय निकाय को देंगे, जो स्थिति की समीक्षा करेगा और उस स्थल के प्रभारी—अधिकारी कोनिर्देश, यदि कोई हो, जारी करेगा;
- (xii) नियमित जांच : आयुक्त, उपायुक्त अथवा आयुक्त द्वारा कोई अन्य अधिकृत अधिकारी संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान वाले वार्डों के विभिन्न भागों में नियमित जांच करेंगे तािक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इन उप—नियमोंके अनुपालन का पर्यवेक्षण हो सके;
- (xiii) संबंधित स्थानीय निकाय अपने मुख्यालयों में कॉल सेंटर स्थापित करके एक जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेंगे। जन शिकायत निवारण प्रणाली में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा वेब आधारित सेवाएं शामिल होंगी;
- (xiv) संबंधित स्थानीय निकाय मुख्यालय/समस्त जोन/वार्ड कार्यालयों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इन उप—नियमों से संबद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायो—मेट्रिक/स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी/आईसीटी सिस्टम इंस्टाल करेंगे और उनके वेतन/मजदूरी/पारिश्रमिक को उक्त प्रणाली से जोड़े जाने का प्रयास करेंगे;
- (xv) पारदर्शिता और जनता की पहुंच : बेहतर पारदर्शिता और जनता की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय अपनी वेबसाइट के माध्यम से समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे;
- (xvi) संबंधित स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, 2016 और 2018 में उन सभी अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, जिनका हवाला विशेष रूप से इन उप–नियमों में नहीं दिया गया है।

अध्याय - IX

13. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमोंका उल्लंघन करने वाले फुटकर विक्रेताओं / फेरीवालों द्वारा अदा किए जाने वाले जुर्मानों का विवरण इस प्रकार ह:—

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के नियम 14(2) के तहत व्यवस्था है,

- (क) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों अथवा इन उप—िनयमों के प्रावधानों के अनुपालन में विरोधाभास होने अथवा विफलता की स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा, जैसा—इन उप—िनयमों के परिशिष्ट में अनुसूची—I में उल्लिखित है, फुटकर विक्रेताओं, फेरीवालों द्वारा वस्तुओं की बिक्री और ऐसे प्लास्टिक में पैक मदों के लिए उल्लंघन माना जाएगा, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 के अनुरूप निर्मित अथवा लेबल नहीं की गई हों।
- (ख) बारंबार उल्लंघन किए जाने अथवा उपरोक्त खंड (क) में उल्लेखानुसार अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, प्रत्येक ऐसे दोष की स्थिति में जुर्माना राशि लगाई जाएगी;

- (ग) संबंधित स्थानीय निकाय इस संबंध में आदेश जारी करके जुर्माना अथवा दंड की राशि वसूले जाने के लिए अधिकारियों को नामित करेंगे। जुर्माने / दंड की राशि का उल्लेख अनुसूची-I में किया गया है;
- (घ) अनुसूची-I में उल्लिखित जुर्माने अथवा दंड की राशि प्रति वर्ष प्रत्येक आगामी वर्ष में 01 जनवरी से स्वतः तरीके से 5प्रतिशत बढ़ जाएगी;
- (ङ) स्थल पर ही जुर्माने/दंड की राशि का भुगतान न किए जाने पर जुर्माने/दंड की राशि संबंधित स्थानीय निकाय के अधिकृत/अधिसूचित विशेष निगम मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य निगम मजिस्ट्रेट द्वारा वसूल एवं एकत्र की जाएगी।

अध्याय–X

14. निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों के उत्तरदायित्व :--

- (i) निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 06 माह के भीतर वे निर्माताओं के लिए बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के आधार पर और अपने स्वयं के वितरण चैनल अथवा संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से या तो व्यक्तिगत तौर पर अथवा सामूहिक तौर पर राज्य शहरी विकास विभाग को शामिल करते हुए अपशिष्ट संग्रहण संबंधी कार्यप्रणालियां तैयार करें:
- (ii) यह आवश्यक है कि निर्माता यह कार्य इन उप–नियमों के अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर यह कार्य करेगा;
- (iii) यह आवश्यक है कि कोई भी निर्माता सरकारी राजपत्र में इन उप—नियमों के अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से छह माह की समाप्ति पर और उसके बाद किन्हीं वस्तुओं की पैकिंग के लिए प्लास्टिक अथवा मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग का विनिर्माण अथवा उपयोग नहीं करेगा;
- (iv) यह आवश्यक है कि प्रत्येक निर्माता, थैलियों अथवा प्लास्टिक शीट अथवा सामान सामग्री अथवा प्लास्टिक शीट से बनने वाले कवर अथवा मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्लास्टिक का आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों के विवरणों का रिकार्ड रखेगा।

अध्याय-XI

सामाजिक जागरुकता और जनता को शिक्षित करना

15. सामाजिक जागरुकता और जनता को शिक्षित करना

- (i) जागरुकता / संवेदनशीलता संबंधी अभियानों का आयोजन टेलीविजन / रेडियो इत्यादि के माध्यम से पूरे राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में किया जाना चाहिए ताकि एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल करने को हतोत्साहित किया जा सके;
- (ii) सरकार द्वारा आयोजित अथवा प्रायोजित समस्त कार्यक्रमों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए:
- (iii) सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि वे एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में प्रमुखता से सार्वजनिक तौर पर प्रसिद्ध हस्तियों अथवा अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेंसडर के रूप में आमंत्रित करें:
- (iv) प्लास्टिक उपयोग के महत्वपूर्ण स्थलों सिहत पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, समुद्री-तटों, तीर्थस्थलों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में जागरुकता / संवेदनशीलता के प्रसार के लिए ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए:
- (v) प्लास्टिक के उपयोग को लेकर विद्यार्थियों औरयुवाओं के बीच व्यावहारिक बदलाव के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल करने को हतोत्साहित करने के लिए स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने चाहिए, प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के विकल्प के रूप में अन्य सामग्रियों जैसा कम्पोस्ट किए जा सकने वाले उत्पादों का सुझाव दिया जाना चाहिए और स्रोत पर ही पृथक्करण को बढ़ावा देना चाहिए।

अध्याय -XII

सरकारी कार्यालयों द्वारा कार्रवाई

16. एकल-उपयोग प्लास्टिक उत्पादां का उपयोगः

समस्त सरकारी / निजी कार्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, सिनेमा हॉलों, मॉल्स, होटलों, बैंक्वेट हॉलों, फार्म हाउसों (सामाजिक समारोहों का आयोजन करने वाले) धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों आदि पर निम्नलिखित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी, जैसे:—

- (i) प्लास्टिक की थैलियां / फिल्म / रैपिंग (<50माइक्रोन);
- (ii) कप, प्लेट, स्ट्रा;

- (iii) कटलरी;
- (iv) डेकोरेटिड प्लास्टिक कवर / पैकेजिंग;
- (v) प्लास्टिकथर्माकोल एवं डिस्पोजेबल उत्पाद;
- (vi) पानी के सेशे और 1 लीटर वाली पैक की गई पानी की बोतलें;
- (vii) गृटखा, तंबाकू एवं पान मसाला आदि रखने / क्रय / विक्रय करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक सेशे।

अध्याय -XIII

उत्पादकों के बढ़े हुए उत्तरदायित्व (EPR)

17. उत्पादकों के बढ़े हुए उत्तरदायित्व (ईपीआर)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस समय एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार कर रहा है तािक प्लास्टिक अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 यथासंशोधित 2018 के नियम 9 के तहत ईपीआर को क्रियान्वित किया जा सके। प्रस्तािवित कार्ययोजना के तहत निर्माता/ब्रांड मालिकों और प्लास्टिकउत्पादों के ऐसे आयातकों के लिए ईपीआर को क्रियान्वित करने संबंधी कार्यप्रणालियां निर्धारित की जाएंगी, जो राज्य शहरी विकास विभाग/शहरी स्थानीय निकाय/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सिनित्यां और प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में शामिल अन्य भागीदारों के अनुरूप होंगी। यथासंशोधित प्लास्टिक अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत उत्पादकों एवं ब्रांड मालिकों के पंजीकरण हेतु मार्च, 2021 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक मानक संचालन प्रक्रिया को प्रकाशित किया है, जिसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण सिनित (डीपीसीसी) द्वारा वर्तमान समय के लिए एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ईपीआर ढांचे के क्रियान्वयन तक लागू कर दिया गया है।

अनुसूची—1 जुर्माना / दंड

क्रम सं.	नियम / उप–नियम संख्या	अपराध	किस पर लागू है	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रु. में)
1	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 4 (ए से आई)	शर्तों का पालन करने में विफलता	विनिर्माता, उत्पादककर्ता, आयातक, वितरक	20000
2	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 6(जी)	प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
3	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की उपविधि 7 (ए एवं बी)	कूड़ा फैलाना	अपराधी	1000
4	संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, का नियम 9 (1)	अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए ईपीआर के भाग के रूप में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर कार्यप्रणाली तय करने में विफलता		50000
5	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 9 (2) सीपीसीबी / डीपीसीसी	उपयोग हुए मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक सैशे या पाउच अथवा पैकिंग के एकत्रण में विफलता	और ब्रांड मालिक	50000
6	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमोंका नियम 9 (3) सीपीसीबी / डीपीसीसी	मल्टीलेयर्ड नॉन—रिसायकेबल प्लास्टिक, यदि कोई हो, के विनिर्माण और उपयोग की विफलता, इसे दो वर्ष में समाप्त किया जाना चाहिए	विनिर्माता और ब्रांड मालिक	30000
7	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 9 (4) सीपीसीबी / डीपीसीसी	डीपीसीसी में पंजीकरण के लिए तीन माह के भीतर आवेदन करने में विफलता	उत्पादककर्ता, आयातक, विनिर्माता और ब्रांड मालिक	25000

8	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 9 (5) सीपीसीबी / डीपीसीसी	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 6माह की समाप्ति के बाद, जीपीसीसी से पंजीकरण कराए बिना किसी प्लास्टिक के विनिर्माण अथवा उपयोग अथवा वस्तुओं की मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग नहीं करना	उत्पादककर्ता, आयातक, विनिर्माता और ब्रांड मालिक	50000
9	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 9 (6) सीपीसीबी / डीपीसीसी	थैलियां अथवा प्लास्टिक शीट अथवा समान वस्तु अथवा कवर बनाने अथवा प्लास्टिक शीट अथवा मल्टीलेयरेड पैकेजिंग के लिए कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के विवरणों का रिकार्ड रखे जाने में विफलता	उत्पादककर्ता, आयातक, विनिर्माता और ब्रांड मालिक	50000
10	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 10 सीपीसीबी / डीपीसीसी	भारतीय मानकों के प्रोटोकॉल का अनुपालन किए जाने में विफलता	विनिर्माता, उत्पादककर्ता, आयातक, वितरक, अन्य व्यक्ति	10000
11	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 11 (क), (ख), (ग) और 2 सीपीसीबी / डीपीसीसी	प्लास्टिक की प्रत्येक थैली और मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग पर नियमानुसार अंग्रेजी में मार्किंग और लेबलिंग करने में विफलता	उत्पादककर्ता और विनिर्माता	10000
12	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 13(1) सीपीसीबी / डीपीसीसी	थैलियों अथवा रिसायकल प्लास्टिक बैगों अथवा मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए डीपीसीसी से पंजीकरण में विफलता	उत्पादककर्ता, रिसायकलर्स और विनिर्माता	10000
13	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 13(2) सीपीसीबी / डीपीसीसी	थैलियों अथवा रिसायकल प्लास्टिक बैगों अथवा मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए डीपीसीसी से पंजीकरण का नवीनीकरण कराने में विफलता	उत्पादककर्ता, रिसायकलर्स और विनिर्माता	10000
14	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 13(3) सीपीसीबी / डीपीसीसी	प्लास्टिक अपशिष्ट की रिसायकलिंग के लिए डीपीसीसी से पंजीकरण अथवा उसका नवीनीकरण कराने में विफलता	प्लास्टिक अपशिष्ट का	10000
15	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का नियम 13(4) सीपीसीबी / डीपीसीसी	कच्ची सामग्री के रूप में प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए डीपीसीसी से पंजीकरण अथवा उसका नवीनीकरण कराने में विफलता	विनिर्माता और उत्पादककर्ता	10000
16	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों / स्थानीय निकायों का नियम 14 (1)	थैली अथवा प्लास्टिक शीट अथवा मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग पर लेबल अथवा मार्किंग की व्यवस्था करने में विफलता	फुटकर विक्रेता और फेरीवाले	1000
17	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों / स्थानीय निकायों का नियम 14 (2)	थैली अथवा प्लास्टिक शीट अथवा मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग / प्लास्टिक शीट से बने कवरों पर लेबल अथवा मार्किंग की व्यवस्था में विफलता	फुटकर विक्रेता और फेरीवाले	1000
18	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों डीपीसीसी/स्थानीय निकायों का नियम 17	संबंधित स्थानीय निकाय कार्यालय के साथ डीपीसीसी को सूचित करते हुए प्रति वर्ष 30 अप्रैल को वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने में विफलता	उत्पादककर्ता, रिसायकलर्स और विनिर्माता	10000

19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा—निर्देश	विश्वविद्यालयों, स्कूलों, सिनेमा हॉलों, मॉल्स, होटलों, बैंक्वेट हॉलों, फार्म हाउसों (सामाजिक समारोहों का आयोजन करने वाले) धार्मिक / ऐतिहासिक / पर्यटन स्थलों, पिकनिक स्थलों, सामाजिक / सार्वजनिक स्थलों पर वैवाहिक / धार्मिक आयोजनों आदि पर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध	कप, प्लेट, स्ट्रा, कटलरी, प्लास्टिक थर्माकोल एवं	50000
		(2) दुकान संस्थापानाओं, खुले बाजार, फेरीवाले / हॉकर्स आदि		5000

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यापाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अनिल कुमार, उप निदेशक (स्था. नि.)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF LOCAL BODIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2021

No. F. 13(307)/UD/MB/2019/PT FILE-1/CD No- 021549589/784.—In exercise of the powers conferred by Rule 6, Sub Rule(4) of the Plastic Waste Management(PWM) Rules, 2016, as amended till date, made by the Government of India under the provisions of Section 3, Sub-section 2(i) of The Environment (Protection) Act, 1986 (Act 29 of 1986) and Rule 4, Sub-rule 5 of The Environment (Protection) Rules 1986, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby publishes the following bye-laws for National Capital Territory of Delhi for Management of Plastic Waste.

Notice to all persons and stakeholders, likely to be affected, is hereby published in daily news papers (Hindi and English) as per sub-section (1) of section 23 of the General Clause Act, 1897 that the said draft will be taken into consideration by the Government of NCT of Delhi on or after expiry of thirty days from the date on which copy of the said draft Bye Laws, published in Delhi Gazette is made available to the public together with any Objections/Suggestions that may be received in respect thereto within stipulated period.

Objections/Suggestions in this behalf should be addressed to The Secretary (Urban Development), Government of National Capital Territory of Delhi, 9th Level, C-wing, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi-110002.

DRAFT BYE-LAWS

PLASTIC WASTE MANAGEMENT (PWM) BYE-LAWS, 2018 (AMENDED VIDE NOTIFICATION OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, DATED 27.03.2018) FOR SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION/ EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION/ NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION/ NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL / DELHI CANTONMENT BOARD (DCB).

CHAPTER-I

GENERAL

- 1. Short Title and Commencement:-
 - (i) These bye-laws shall be called the Plastic Waste Management Bye-laws, 2021.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. **Applicability:** These bye-laws shall be applicable within the territorial limits of SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION/ EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION/ NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION/ NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL/ DELHI CANTONMENT BOARD (DCB) hereinafter referred to as "(SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION / EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION / NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION / NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL / DELHI CANTONMENT BOARD (DCB) Plastic Waste Management Bye-laws, 2021.
- **3.** Act: Means Environment (Protection) Act, 1986 (as amended)
- **4. Definitions**: (i) In these bye-laws, unless the context otherwise requires:-
- a. "brand owner "means a person or company who sells any commodity under a registered brand label;
- (ab) "alternate use' means use of a material for a purpose other than for which it was conceived, which is beneficial because it promotes resource efficiency";
- (ac) "Bulk User" means shopkeepers, institutions, hotels, offices, restaurants, banquets halls, marriage halls, community halls, malls & shopping complexes, firm houses (organizing social functions), schools, colleges, universities, etc.;
- **b.** "carry bags" mean bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self-carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use;
- **c. "commodity"** means tangible item that may be bought or sold and includes all marketable goods or wares;
- **d. "compostable plastics"** mean plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO₂, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials, excluding conventional petro-based plastics, and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;
- **e. "consent"** means the consent to establish and operate from the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee granted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);
- **f.** "disintegration" means the physical breakdown of a material into very small fragments;
- **g. "extended producer's responsibility"** means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;
- (ga). 'energy recovery' means energy recovery from waste that is conversion of waste material into usable heat, electricity or fuel through a variety of processes including combustion, gasification, pyrolysis, anaerobic digestion and land fill gas recovery;
- **h.** "food-stuffs" mean ready to eat food products, fast food, processed or cooked food in liquid, powder, solid or semi-solid, plastic or semi-plastic form;
- i. "facility" means the premises used for collection, storage, recycling, processing and disposal of plastic waste;
- **j. "importer"** means a person who imports or intends to import and holds an Importer-Exporter Code Number, unless otherwise specifically exempted;
- k. "institutional waste generator" means and includes occupier of the institutional buildings such as building occupied by Central Government Departments, State Government Departments, public or private

sector companies, hospitals, schools, colleges, universities or other places of education, organization, academy, hotels, restaurants, malls and shopping complexes;

- **l. "integral packaging"** means plastic film which is in sandwich form between any two layers and sealed before its use;
- **m.** "local body" means urban local body with different nomenclature such as South Delhi Municipal Corporation (SDMC), North Delhi Municipal Corporation (North DMC), East Delhi Municipal Corporation (EDMC), New Delhi Municipal Council (NDMC) and Delhi Cantonment Board (DCB);
- **n.** "manufacturer" means and include a person or unit or agency engaged in production of plastic raw material to be used as raw material by the producer;
- **o.** "Material Recovery Facility (MRF)" It means a facility where non- compostable solid waste can be temporarily stored by local bodies or any person or agency authorized by them to facilitate segregation, sorting and recovery of recyclables from other plastic waste before it is processed or disposed;
- **p.** "multilayered packaging" means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials such as paper, paper board, polymeric materials, metalized layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;
- **q. "plastic"** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, Polybutylene terephthalate;
- r. "plastic sheet" means Plastic sheet is the sheet/film made of plastic;
- s. "plastic waste" means any plastic discarded after use or after their intended use is over;
- **t.** "prescribed authority" means the authorities specified in Rule 12 of PWM Rules, 2016, as amended, 2018;
- **u. "producer"** means persons engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets/film and includes industries or individuals using plastic sheets/film or covers made of plastic sheets/film or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;
- v. "recycling" means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;
- w. "registration" means registration with the Delhi Pollution Control Committee (DPCC);
- x. "rules" rules means Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended to date;
- **y**. "**street vendor**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014);
- z. "virgin plastic" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;
- (za). "waste generator" means and includes every person or group of persons or institution, residential and commercial establishments including Indian Railways, Airport, Port and Harbor and Defence establishments which generate plastic waste;
- (**zb**). "waste management" means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally safe manner;
- (**Zc**). "waste pickers" mean individuals or agencies, groups of individuals voluntarily engaged or authorized for picking of recyclable plastic waste;
- (**zd**) The words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, 2018;

CHAPTER-II

SEGREGATION AND PRIMARY STORAGE OF PLASTIC WASTE -

5. Segregation and storage of Plastic Waste at source:-

- (i) It shall be necessary for all waste generators to segregate and store the plastic waste coming out of their own places regularly into covered waste bins and handover segregated waste to designated waste collectors as per the direction of Concerned Local Body from time to time.
- (ii) Every bulk waste generator is to separate and store the Plastic Waste coming out of their own places into suitable bins and handover segregated waste to authorized waste processing or disposal facilities or deposition centers through the authorized waste collection agency with paying the carrying charges specified by Concerned Local Body (LBs) from time to time.
- (iii) The colour of bins for storage of segregated waste shall be 'Blue' for Plastic Waste.
- (iv) No person shall organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating Concerned Local Body (LBs) online along with payment of user fee as prescribed in the schedule, at least three working days in advance and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of plastic waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by Concerned Local Body (LBs).
- (v) Every street vendor / vendor shall keep suitable containers for storage of segregated plastic waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by Concerned Local Body (LBs).

CHAPTER-III

PLASTIC WASTE COLLECTION

6. Collection of Plastic Waste:-

- (i) Segregation and primary storage of plastic waste shall be done in accordance with SWM Rules, 2016, read with amendment thereof in 2018 and as amended on date.
- (ii) Manual handling of waste in the containers shall be prohibited. If unavoidable due to constraints, manual handling shall be carried out under proper protection with due care for safety of workers.
- (iii) Waste generators shall be responsible to deposit their segregated plastic waste (should not be transported along with Municipal Solid Waste to designated landfill sites), shall be transported or deployed by Concerned Local Body (LBs) or by the notified authorized waste collector in the Auto-Tippers/Rickshaws etc for treatment or recycle or any appropriate purpose. Segregated plastic waste from multi-storied buildings, apartments, housing complexes may be collected from the entry gate or any other designated location.

CHAPTER-IV

SECONDARY STORAGE OF PLASTIC WASTE

7. Storage of plastic waste in the secondary storage points:-

- (i) Plastic waste collected from any source doorsteps shall be taken to Material Recovery Facility (MRF), community storage bins or fixed or mobile transfer as specified by Concerned Local Bodies (LBs) for secondary storage of waste;
- (ii) Such MRF or secondary storage points shall have covered containers (of specified colour) for separate storage of plastic waste;
- (iii) Different containers shall be used in the areas demarcated by Concerned Local Bodies (LBs) to keep segregated plastic waste. Concerned Local Bodies (LBs) shall separately notify, from time to time, mandatory colour coding and other specifications of receptacles prescribed for storage and delivery of different types of plastic waste to enable safe and easy collection

- without any mixing or spillage of waste, which generators of different types of plastic waste shall have to adhere to;
- (iv) Concerned Local Bodies (LBs) on its own or through outsourcing agencies shall maintain the storage facilities for plastic waste in a manner that does not create unhygienic and unsanitary conditions around it:
- (v) Containers of various sizes in the secondary storage depots shall be provided by Concerned Local Bodies (LBs) or any assigned agencies;
- (vi) Storage facilities shall be created and established by taking into account quantities of waste generation in a given area and the density of population;
- (vii) Storage facilities shall be user friendly and shall be so designed that it ensures compaction of waste and that the waste stored is not exposed to open atmosphere;
- (viii) Concerned Local Bodies (LBs) or its specified agency shall carry out washing and disinfection of all the bins on a weekly basis.

CHAPTER-V

TRANSPORTATION OF PLASTIC WASTE

8. Transportation of plastic waste:-

- (i) Vehicles used for transportation of plastic waste shall be covered in such manner that the collected waste is not exposed to open environment. The vehicles may also include compactors, trucks and mobile transfer stations depending upon choice of technology by Concerned Local Bodies (LBs);
- (ii) The storage facilities set up by Concerned Local Bodies (LBs) shall be attended regularly for clearing waste. The areas around the place where the bins or containers are kept shall also be cleaned;
- (iii) There should be no inter-mixing of plastic waste from various sources during the transportation of waste.

CHAPTER-VI

PROCESSING / DISPOSAL OF PLASTIC WASTE

9. Processing / Disposal of plastic waste:-

- (i) The primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be submitted to the DPCC while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal.
- (ii) Concerned Local Bodies (LBs) shall facilitate construction, operation and maintenance of Material Recovery Facility (MRF), plastic waste processing facilities and associated infrastructure on their own or through any agency for optimum utilisation of various components of plastic waste adopting suitable technology including the following technologies and adhering to the guidelines issued by the Ministry of Housing and Urban Development (MoHUA) from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board:-
- (a) To minimise transportation cost and environmental impacts;
- (b) Through plastic waste processing and recycling facilities;
- (c) Through waste to energy processes by refuse derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to plastic waste based power plants; and/or
 - (iii) Concerned LBs shall endeavour to create a market for consumption of Refuse Drive Fuel (RDF);
 - (iv) In waste to energy plant by controlled incineration, absolute segregation shall be mandatory and be part of the terms and conditions of the relevant contracts;
 - (v) LBs shall ensure the recyclables such as plastic.

CHAPTER-VII

USER FEE AND LEVYING OF SPOT FINE / PENALTY

10. User fee for collection, transportation, processing / disposal of plastic waste:-

In accordance with SWM Rules, 2016:

- (i) Concerned Local Bodies (LBs) shall adopt different methods for collection of user fee including online payment.
- (ii) Special days in a month, preferably in first week of each month, shall be fixed for collection of user fee.

CHAPTER-VIII

11. MISCELLANEOUS -

- (i) If any doubt or difficulty arises in the interpretation or implementation of these bye- laws, the same shall be placed before the Commissioner, Concerned Local Bodies (LBs), whose decision in the matter shall be final.
- (ii) **Co-ordination with Government Bodies:** Concerned Local Bodies (LBs) shall co-ordinate with other government agencies and authorities, to ensure compliance of these bye-laws within areas under the jurisdiction or control of such bodies. In case of any difficulty matter shall be placed before Chief Secretary of Government of NCT of Delhi.
- (iii) The competent authority may issue general or special orders from time to time for proper implementation of Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, 2018 and these bye-Laws.
- (iv) Single-use plastics, often also referred to as disposable plastics (use-and-throw items), are commonly used for plastic packaging and include items intended to be used only once before they are throw away or recycled. These include, among other items, carry bags, food packaging, bottles, straws, containers, cups and cutlery. Over the years, the amount of plastic entering oceans and seas has increased. Plastic Marine litter is harmful for marine ecosystem, biodiversity and potentially human health. Widespread concern on the issue has necessitated the need for a strategic approach to management of plastic waste. The single-use plastic items represent majority of items found in plastic marine litter. Under the Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, 2018 plastic carry bags (virgin or recycled) with thickness less than 50 micron and plastic sheet or like, which is not an integral part of multi-layered packaging and cover made or plastic sheet used for packaging, wrapping commodities, with thickness less than 50 micron are banned.
- (v) Concerned Local Bodies (LBs) or the authorized agency engaged by it shall provide and maintain sufficient number of community litter bins of sufficient size on public roads surroundings of railway stations, bus stops, religious places, commercial areas etc.

12. RESPONSIBILITY OF CONCERNED LOCAL BODIES (LBs)

- (i) Concerned Local Bodies (LBs) shall within its territorial area, be responsible for ensuring regular system of surface cleaning of all common streets/roads, public places, temporary settlements, slum areas, markets, its own parks, gardens, drains etc. by employing human resources and machines and shall be bound to collect the plastic from the declared storage containers, and transport it every day to the final disposal point in closed vehicles for which Concerned Local Bodies (LBs) may engage private parties on contract or Public Private Partnership mechanism, apart from its own cleaning staff and vehicles. In addition, Concerned Local Bodies (LBs) shall identify all the commercial areas for carrying out sweeping twice a day;
- (ii) Concerned Local Bodies (LBs). or the authorized agency engaged by it shall provide and maintain sufficient number of community litter bins of sufficient size on public roads, in surroundings of railway stations, bus stops, religious places, in commercial areas etc;

- (iii) Concerned Local Bodies (LBs) for the purpose of managing plastic waste activities in decentralized and regular manner shall designate one ward officer in every ward to supervise the spots of containers, public toilets, community toilets or urinals in public places, transfer station for public plastic, landfill processing units etc;
- (iv) The competent authority shall designate senior Officer/s, preferably not below the rank of Additional Deputy Commissioner or equivalent, as Nodal Officer/s to monitor the progress of segregation, collection, transportation, processing and disposal of plastic waste;
- (v) Each ward shall be divided into sweeping beats based on the prescribed parameter and deploy manpower accordingly or rationalize the existing deployment and monitor their work by using latest technology. Wherever it is unable to get sweeping through its own staff, it may outsource through contract. Each beat shall be inspected by the supervising officials on daily basis prescribed as per directions;
- (vi) Concerned Local Bodies (LBs) shall employ latest road/street cleaning machines, mechanical sweepers or other equipments which improves the efficiency of sweeping and drainage cleaning;
- (vii) Concerned Local Bodies (LBs) shall create awareness and sensitization through Information, Education and Communication (IEC) campaign and educate the waste generators and other stakeholders about the various provisions of Plastic Waste Management Rules and these bye laws with special emphasis on user fee and fines/penalties;
- (viii) Concerned Local Bodies (LBs) shall make efforts to streamline and formalize plastic waste management systems and endeavour that the informal sector workers in waste management (waste pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of plastic waste management;
- (ix) Concerned Local Bodies (LBs) shall ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling plastic waste and the same are used by the work force;
- (x) Concerned Local Bodies (LBs). shall ensure occupational safety of its own staff and staff of outsourced agency involved in collection, transport and handling of waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments;
- (xi) In case of an accident at any plastic waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer-in-charge of the facility shall report to Concerned Local Bodies (LBs) immediately which shall review and issue instructions, if any, to the in-charge of the facility;
- (xii) Regular checks: The Commissioner, Deputy Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner shall conduct regular checks in various parts of the wards and other places of collection, transportation, processing and disposal of plastic waste to supervise compliance of various provisions of PWM Rules and these bye laws;
- (xiii) Concerned Local Bodies (LBs) shall develop a public grievance redressal system (PGRS) by setting up of call centre at its headquarter. The PGRS may include SMS based service, mobile application or web based services;
- (xiv) Concerned Local Bodies (LBs) shall install bio-metric/smart card technologies/ICT System for tracking and recording attendance of employees associated with the working of PWM Rules and these bye-laws at HQ/all zones/ward offices etc. and shall make an endeavour to integrate such system with the salary/wages/remuneration;
- (xv) Transparency and Public Accessibility: To ensure greater transparency and public accessibility, concerned LBs shall provide all necessary information through its website;
- (xvi) Concerned LBs shall perform all other duties mentioned in PWM Rules 2016 AND 2018, which have not been specifically mentioned in these bye-laws.

CHAPTER-IX

13. FINES TO BE PAYABLE BY RETAILERS / STREET VENDORS FOR CONTRAVENTION OF THE PWM RULES AS PROVIDED:-

Under Rule 14(2) of Plastic Waste Management Rules,

- (i) Whosoever contravenes or fails to comply with any of the provisions of PWM rules or these Bye-Laws shall be imposed with fine as mentioned in **Schedule-I** appended to these bye-laws; violation by retailers, street vendors shall be considered for selling or providing commodities in plastic packaging items which are not manufactured or labelled in accordance with the plastic waste management rules 2018;
- (ii) In case of repeated contravention or non-compliance as mentioned in clause (a) above, fine amount for every such default shall be levied;
- (iii) The Concerned LBs shall designate officers for levying fine or penalty by issuing an order in this behalf. The fine/Penalty amount is specified in Schedule-I;
- (iv) The fine or penalty mentioned in Schedule-I shall stand automatically increased by 5% per year with effect from 1st January of each successive year;
- (v) The fines/penalty shall be levied and collected by the authorized /notified special Municipal Magistrate or CMM of the concerned Local Bodies in case of non payment of fine/penalties at the spot;

CHAPTER-X

14. RESPONSIBILITY OF PRODUCERS, IMPORTERS AND BRAND OWNERS:-

- i. It is necessary for producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, to work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the concerned LB;
- ii. It is necessary that the produce shall perform these work within a period of three months from the date of final publication of these bye-laws;
- iii. It is necessary that no producer shall on and after the expiry of a period of Six Months from the date of final publication of these bye-laws in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multilayered packaging for packaging of commodities;
- iv. It is necessary that every producer shall maintain a record of details of the person engaged in supply of plastic used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet or like or cover made of plastic sheet or multilayered packaging.

CHAPTER-XI

SOCIAL AWARENESS AND PUBLIC EDUCATION

15. Social Awareness and Public Education

- i. Awareness/ sensitization campaigns should be organised throughout the State/ UT through TV/ Radio etc. to discourage use of single-use plastic;
- ii. All events organized or sponsored by the Govt. shall be free from single-use plastic products;
- iii. Governments should try to invite eminent public personalities to serve as Brand Ambassador or in any other capacity in the campaign to discourage the use of single-use plastic;
- iv. Attention should be focussed on creating awareness/sensitization in hotspots of plastic usage including tourist spots, religious spots, beaches, pilgrimage sites, schools colleges etc.;
- v. Particular attentions should also be focused on students and young adults to inculcate a behavioural change in plastic usage. Changes in school curriculum should be introduced to discourage use of single-use plastics, promote use of plastic alternate materials like compostable products and promote source segregation.

CHAPTER-XII

ACTION BY GOVERNMENT OFFICES

16. Use of Single-Use Plastic Products:

Actions shall be taken in all Government/Private Offices, institutions/ colleges, universities, schools, cinema halls, malls, hotels, banquet halls, farm houses (conducting Social Functions), religious places, historical places, tourist places etc. for use of single use plastic products such as:

- (i) Plastic carry bags/films/wrappings (<50 μm);
- (ii) Cups, plates, straw;
- (iii) Cutleries;
- (iv) Decorated plastic covers/packaging;
- (v) Plastic thermocol & disposables products;
- (vi) Water sachets and packed water bottles having capacity < 1 litre;
- (vii) Plastic sachets used for storing/purchasing/selling/ gutkha, tobacco & pan masala etc.

CHAPTER-XIII

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR)

Ministry of Environment Forest and Climate Change, is currently formulating a national framework for implementing EPR under Rule 9 of Plastic Waste Management Rules, 2016 and as amended in 2018. Under the proposed framework, modalities will be fixed for producers/brand owners and importers of plastic products for implementing the EPR framework, in consonance with State Urban Development Local Departments/Urban Bodies/Central Pollution Control Board/State Pollution Boards/Committees and other stakeholders involved in the plastic value chain. Central Pollution Control Board has published a Standard Operating Procedure (SOP) in March, 2021 for registration of producers, importers and brand owners (PIBOs) under Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, which has been put into operation by Delhi Pollution Control Committee (DPCC) for the present and till the implementation of EPR framework by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India.

SCHEDULE-I FINE/PENALTY

S. No.	Rule/ Bye-Laws No.	Offences	Applicable to	Fine for every default (in Rupees)
1	Rule 4 of PWM (a to i).	Failure to follow the Conditions	Manufacturers, producers, importers, distributer	20000
2	Rule 6 (g) of PWM Rules.	Open burning of plastic waste	Violator	5000
3	Bye-Laws 7 (a &b) of PWM Rules.	Littering	Offender	1000
4	Rule 9 (1) of PWM Rules by respective SPCB/PCC.	Failure to workout modalities for waste collection system as a part of EPR in a period of within six months from the date of publication of these rules.	Producers, importers and Brand Owner	50000

5	Rule 9 (2) of PWM Rules CPCB/DPCC.	Failure to collect the used multi-layered plastic sachet or pouches or packing.	Producers, importers and Brand Owner	50000
6	Rule 9 (3) of PWM Rules CPCB/DPCC.	Failure to manufactures and use of non-recyclable multilayered plastic if any should be phased out in two years	Producers, importers, Manufacturers, and Brand Owner	30000
7	Rule 9 (4) of PWM Rules CPCB/DPCC.	Failure to apply for grant of registration to DPCC within three months	Producers, importers, Manufacturers, and Brand Owner	25000
8	Rule 9 (5) of PWM Rules CPCB/DPCC.	After expiring of period 6 months from the date of publication of these rules, no manufacturing or use of any plastic or multilayered packing of commodities without registration from DPCC.	Producers, importers, Manufacturers, and Brand Owner	50000
9	Rule 9 (6) of PWM Rules CPCB/DPCC.	Failure to maintain a record of details of the person engaged in supply of plastic used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet or like or cover made or plastic sheet or multilayered packaging	Producers, importers, Manufacturers, and Brand Owner	50000
10	Rule 10 of PWM CPCB/DPCC.	Failure to comply with Protocols of the Indian Standards.	Manufacturers, producers, importers, distributer, persons	10000
11	Rule 11 (a), (b), (c) and 2 of PWM CPCB/DPCC.	Failure to marking or labelling on each plastic carry bag and multilayered packaging printed in English as per rules	Producers, and manufacturers	10000
12	Rule 13 (1) of PWM Rules CPCB/DPCC.	Failure to registration of manufacture of carry bag or recycle plastic bags or multilayered packaging with DPCC	Producers, recyclers and manufacturers	10000
13	Rule 13 (2) of PWM Rules CPCB/DPCC.	Failure to renewal of registration of manufacture of carry bag or recycle plastic bags or multilayered packaging with DPCC	Producers, recyclers and manufacturers	10000
14	Rule 13 (3) of PWM Rules	Failure to grant of registration or renewal for	Recyclers or processors of plastic waste	10000

	CPCB/DPCC.	recycling of plastic waste with DPCC		
15	Rule 13 (4) of PWM Rules CPCB/DPCC.	Failure to grant of registration or renewal for used of plastic as raw material with DPCC	Manufactures and producer	10000
16	Rule 14 (1) of PWM Rules LBs	Failure to provide carry bag or plastic sheet or multilayered packaging with labelled or marked	Retailer or street vendors	1000
17	Rule 14 (2) of PWM Rules LBs	Failure to provide carry bag or plastic sheet or multilayered packaging/covers made of plastic sheets with labelled/marked	Retailer or street vendors	1000
18	Rule 17 of PWM Rules DPCC/LBs	Failure in submitting Annual Reports to the LBOD concerned under intimation to DPCC by 30 th April, of every year	Producers, recyclers and manufacturers	10000
19	MoEF&CC Guidelines	1) Ban on single use plastic products in all Government/ private office, institutions/colleges, universities, schools, cinema halls, malls, hotels, banquet halls, farm houses (conducting social functions), religious/ historical/ tourist places, picnic spots, social/ marriage/ religious events on public places;	Plastic items such as carry bags <50µm, cups, plates, straw, cutlery, plastic thermocol & disposables pproducts, decorative plastic covers/packaging, plastic sachets used for storing/ packing/selling gutkha, tobacco & pan masala, drinking water sachets (any size) and packed water bottles having capacity <1(ONE) litre, etc.	50000
		2) Shop establishments, open markets, Street vendors/hawkers, etc.		5000

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

ANIL KUMAR, Dy. Director (LB)